न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 39/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/67

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड,
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए,
धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. अजीत कुमार जैन पिता हेमराज निवसी बाहेमावाडा, खोडन,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्रीमती माया देवी पत्नी अजीत निवासी बाहेमावाडा,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(सहऋणी)
3. हरिश भील पिता गोकल भील निवासी खोडन, पाटीदार मोहल्ला,त. गढी जिला बांसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 10.03.2022

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री अजीत कुमार जैन पिता हेमराज निवसी बाहेमावाडा, खोडन,तहसील गढी, जिला बांसवाडा (ऋणी/बंधककर्ता) 2– श्रीमती माया देवी पत्नी अजीत निवासी बाहेमावाडा,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(सहऋणी) एवं 3 श्री हरिश भील पिता गोकल भील निवासी खोडन, पाटीदार मोहल्ला,त. गढी जिला बांसवाडा (जमानती) जिसमें अप्रार्थी सं.1 व 2 को दिनांक 02.03.2016 को 1100000 (ग्यारह लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 12.10.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 02–04–2021 को कुल बकाया ऋण राशि 1202828 रू. (बारह लाख दो हजार आठ सौ अठ्ठाईस रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज व [illegible] सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं.1 ने ऋण राशि व उसके [illegible] हेतु सिक्योरिटी [illegible] में अपनी अचल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.03.31 12:14:19 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

सम्पत्ति को रहन किया गया जिसके अन्तर्गत श्री अजीत कुमार जैन पिता हेमराज जैन निवासी 194, बाहेमावाडा, वाया पोस्ट खोडन, तहसील गढी, जिला बॉसवाडा At also अजीत कुमार जैन, पट्टा सं. 201 मिसल नंबर 201 ग्राम पंचायत खोडन तहसील गढी जिला बॉसवाडा पर स्थित है जिसका माप लगभग 616 स्क्वायर फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में सी.सी रोड, पश्चिम में उमाकान्त की जमीन, उत्तर में अनुप जी का मकान एवं दक्षिण में उमाकान्त की गली स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 23-04-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रु. 11,00,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस चस्पा होकर बाद तामिल प्रस्तुत हुए एवं अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस बाद तामिल प्रस्तुत हुआ किन्तु अप्रार्थीगण आज दिनांक तक अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 10.03.2022 को प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी सं.1 व 2 को दिनांक 02.03.2016 को 1100000 (ग्यारह लाख) रुपया ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 12.10.2020 को अक्रियाशील [illegible] में वर्गीकृत कर दिया है। प्रकरण में ऋणी द्वारा ऋण मय ब्याज राशि भी जमा नहीं करवाई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.03.31 12:14:19 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगणो को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जा चुके है। किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी सं.1 व 2 को दिनांक 02.03.2016 को 1100000 (ग्यारह लाख) रुपया ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 12.10.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था/बैंक को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

(अंकित कुमार सिंह)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.03.31 12:14:19 IST
Reason: SelfAttested